



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092024-257464  
CG-DL-E-24092024-257464

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 544]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 24, 2024/आश्विन 2, 1946

No. 544]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 24, 2024/ASVINA 2, 1946

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 586(अ).—भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 13 सितम्बर, 2024 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 572(अ.) [सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) मसौदा संशोधन नियमावली, 2024], जो भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3 के उप-खंड (i) में प्रकाशित हुआ था, में:-

नियम 1 के उपनियम (1) को छोड़कर, "सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) नियम, 2024" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे प्रयुक्त हों, :-

"सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) नियम, 2004" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. पी.16012/08/2017-टीसी]

लता गणपति, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE****(Department of Health and Family Welfare)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 23rd September, 2024

**G.S.R. 586(E).**—In the Notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, No. G.S.R. 572(E) dated the 13th September, 2024, [Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) draft Amendment Rules, 2024], published in Part II, Section 3, Sub-Section(i) of the Gazette of India, Extraordinary:-

**For the words** “Cigarette and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Rules, 2024”, **wherever they appear, except in Rule 1, sub-rule(1) shall be substituted as, :-**

“Cigarette and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Rules, 2004”.

[F. No. P.16012/08/2017-TC]

LATHA GANAPATHY, Jt. Secy.